भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †127

सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

†127. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कोई पहल कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पहलों के अभिलिखित सकारात्मक परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आतिथ्य सुविधाओं में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग शुरू की है, जो सुरक्षित स्वच्छता पद्धतियों के अनुपालन पर आधारित है। यह रेटिंग प्रणाली मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय की जीवन प्रतिबद्धता के लिए भ्रमण के अनुरूप तैयार की गयी है और सतत विकास लक्ष्यों में विनिर्दिष्ट स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र स्वैच्छिक रुप से इस पर पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुए लागू करेगा। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित स्वच्छता पद्तियों से पर्यटन आतिथ्य क्षेत्र में सामान्य लक्ष्यों के लिए जागरूकता और सहयोगात्मक उपलब्धियों में वृद्धि की उम्मीद है, जो इस प्रकार है:-

i. इन सुविधाओं में बेहतर और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन सम्मिलित है ।
ii. स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण और संधारणीय फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देना।
iii. गंदगीमुक्त सुविधाएं।

iv. सर्कुलेरिटी और संसाधन स्थिरता के लिए ग्रे वाटर प्रबंधन में 3आर (रेडयूज, रियूज और रिचार्ज) को प्रोत्साहित करना।

v. एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देना।

यह परिकल्पना की गई है कि इस रेटिंग प्रणाली को रिसॉर्ट्स, होटल, होमस्टे और धर्मशालाओं, चाहे वे जलपानगृहों से युक्त हों अथवा नहीं, जैसी आतिथ्य सुविधाओं की सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि वे भारत में स्वच्छ और अधिक टिकाऊ पर्यटन पद्तियों से स्वैच्छिक रूप से जुड़ सके और योगदान कर सकें। यह भी उम्मीद की जाती है कि इन आतिथ्य सुविधाओं के संचालक पर्याप्त रुप से अवसंरचना का विकास करेंगे, अच्छी पद्तियों को अपनाएँगे और जिम्मेदार पर्यटन के एक हिस्से के रूप में स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता प्रदान करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, देश की 100 प्रतिष्ठित विरासतों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों (एसआईपी) के रूप में एक विशेष सफाई अभियान के लिए लिया जाना है। चार चरणों में, अब तक 39 प्रतिष्ठित स्थानों का चयन किया गया है और इन 39 स्थलों में से कुल 29 स्थलों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) भागीदारों के साथ मैप किया गया है। एसआईपी को उच्च फुटफॉल वाले सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था। एसआईपी का उद्देश्य इन स्थानों पर, विशेष रूप से परिधिय और पहुंच क्षेत्रों में स्वच्छता/सफाई का एक उच्च स्तर प्राप्त करना है। केंद्रीय मंत्रालयों, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों, नगर निगम और स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से इस परियोजना का समन्वय पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं।

****